भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 5548
दिनांक 04.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत-अमेरिका निर्वासन मुद्दे

5548. **श्रीमती रचना बनर्जीः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा अपने उन नागरिकों, जिन्हें अमेरिका में उत्पन्न हो रही आप्रवासन नीतियों के आलोक में उनकी अप्रलेखित स्थिति के कारण निर्वासन अथवा अन्य कानूनी परिणामों के जोखिम का सामना करना पड़ सकता है, की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा अमेरिका में भारतीय प्रवासियों की स्थिति का समाधान करने के लिए संभावित कार्य वीजा अथवा सर्वक्षमा विकल्पों सहित अमेरिका के साथ किसी प्रकार के द्विपक्षीय सहयोग की मांग किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार इस नीति से अमेरिका में भारतीय प्रवासियों और उस पर निर्भर परिवारों द्वारा प्रेषित धन के प्रवाह को प्रभावित करने का अनुमान किस प्रकार लगाती है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) सरकार, विदेश में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।

भारत सरकार उन सभी व्यक्तियों के निर्वासन के मामलों में अमेरिकी सरकार के साथ गहन समन्वय में निरंतर कार्य कर रही है, जिन्हें अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करते हुए पाया गया है, या जो अपने वीज़ा की वैधता अवधि से अधिक समय तक अमेरिका में रह रहे हैं, या बिना किसी दस्तावेज़ के अमेरिका में रहते पाए गए हैं अथवा जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज हैं। अमेरिकी पक्ष द्वारा निर्वासन के लिए पहचाने गए व्यक्तियों का सूची की भारत सरकार की संबंधित एजेंसियों द्वारा बारीकी से जांच और सत्यापन किया जाता है। केवल उन्हीं व्यक्तियों को भारत में निर्वासित करने के लिए स्वीकार किया जाता है, जिनके भारतीय नागरिक होने की पुष्टि हो चुकी होती है।

भारत सरकार पारस्परिक रूप से लाभप्रद और सुरक्षित आवाजाही संरचना को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के साथ काम कर रही है, जिससे छात्रों और पेशेवरों की वैध आवाजाही के लिए रास्ते सुगम हो सकें तथा अल्पकालिक पर्यटन एवं व्यावसायिक यात्रा को सुविधाजनक बनाया जा सके, साथ ही अवैध कार्यों में लिप्त लोगों, आपराधिक गतिविधियों के लिए सहायता प्रदाताओं और अवैध आव्रजन नेटवर्क के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करके गैर-कानूनी आव्रजन और मानव तस्करी की समस्या से निपटा जा सके। जनवरी 2025 से लेकर अब तक कुल 682 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। इनमें से अधिकांश निर्वासितों ने अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने का प्रयास किया था, लेकिन उन्हें अमेरिकी सीमा पर ही पकड़ लिया गया और उसके बाद उपयुक्त सत्यापन के बाद उन्हें भारत वापस भेज दिया गया। इस प्रकार, इन निर्वासनों के कारण भारत में सकल धन प्रेषण प्रवाह पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

*****